न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना जिला बिजनौर।
अंतिम आख्या वाद सं0 198/22
सरकार बनाम मंगल सिंह सैनी
थाना अफजलगढ।

UPBJ160082982022

03–11–22

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता पूर्व में सुना जा चुका है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

विरोध याचिका में परिवादी का कथन है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विधि विरूद्व विवेचना की है। दिनांक 15–06–21 को वादी मुकदमा के पुत्र व अभियुक्त की मोटरसाईकिल में आपस में टक्कर हो गयी थी। जिसकी बावत पुलिस ने वादी मुकदमा के पुत्र के विरूद्व रिपोर्ट लिख ली थी किन्तु वादी मुकदमा की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर वादी मुकदमा की रिपोर्ट दर्ज हुआ थी। उक्त घटना में वादी मुकदमा के पुत्र को काफी चोटे आयी थी। जिनका मेडिकल भी हुआ था। किन्तु विवेचक ने अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से वादी मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद समाप्त विवेचना अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। विवेचक ने वादी मुकदमा व उसके पुत्र से कभी कोई सम्पर्क नहीं किया न ही वादी मुकदमा के पुत्र के बयान लिये ना ही डाक्टर के बयान लिये बल्कि मनमाने ढंग से थाने पर बैठकर बयान लिख दिये। विवेचना में विवेचक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखायी गई घटना के विपरीत घटना बनाई है। अतः प्रार्थना है कि मु0अ0सं0 233/21 में प्रस्तुत अंतिम आख्या अस्वीकृत करते हुए अभियुक्त के विरूद्व संज्ञान लिया जाये। समर्थन में स्वयं का शपथपत्र व मु0अ0सं0 165/21 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपपत्र छाया प्रति, नक्शा नजरी छाया प्रति आदि अभिलेख दाखिल किये है।

मैने केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि दिनांक 15–06–21 को वादी मुकदमा के पुत्र व अभियुक्त की मोटरसाईकिल में आपस में टक्कर हो गयी थी। जिसकी बावत पुलिस ने वादी मुकदमा के पुत्र के विरूद्व रिपोर्ट लिख ली थी किन्तु वादी मुकदमा की रिपोर्ट नहीं लिखी थी। उसके बाद प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

किया जिस पर वादी मुकदमा की रिपोर्ट दर्ज हुआ थी। उक्त घटना में वादी मुकदमा के पुत्र को काफी चोटे आयी थी। जिनका मेडिकल भी हुआ था। किन्तु विवेचक ने अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से वादी मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद समाप्त विवेचना अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। विवेचक ने वादी मुकदमा व उसके पुत्र से कभी कोई सम्पर्क नहीं किया न ही वादी मुकदमा के पुत्र के बयान लिये ना ही डाक्टर के बयान लिये बल्कि मनमाने ढंग से थाने पर बैठकर बयान लिख दिये। विवेचक द्वारा की गई उक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा मामले में बिलकुल सतही विवेचना नहीं की गई है। विवेचना के रूप में मात्र खानापूर्ति करते हुए अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है जो विवेचक की घोर लापरवाही का घोतक है। उपरोक्त मामले में यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय में लंबित मु0अ0सं0 165/21 में जो कि प्रस्तुत मामले से संबंधित ही मामला है में विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के निष्कर्ष उपरांत प्रार्थी के पुत्र की टक्कर चुटहिल से दर्शायी गई है। जबकि प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0 233/21 में अपनी विवेचना में निष्कर्ष में अजय कुमार सैनी की टक्कर तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण साबर अली की मोटरसाईकिल से टक्कर मारकर घायल होने एवं स्वयं पुलिया से गिर जाने के कारण होना बताया है। इसके अतिरिक्त मुअ0सं0 165/21 में लिखाई गई एफ0आई0आर0 में साबर अली को दिनांक 15 जून 2021 को अपनी मोटरसाईकिल के पास खडे होना तथा सफर से थक जाने की वजह से आराम करने संबंधी एफ0आई0आर0 लिखाई है जिसमें कि प्रार्थी के पुत्र द्वारा साबर अली को टक्कर मारने का कथन किया गया है। अतः क्योंकि दोनों मामलों में विरोधाभासी निष्कर्ष निकाले गये है। अतः ऐसी दशा में आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में पुनः विवेचना करायी जाये। उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर मैं इस मत का हूं कि मामले में पुनः विवेचना कराया जाना उचित होगा।

आदेश

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत विरोधयाचिका स्वीकार की जाती है। प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या निरस्त की जाती है। थानाध्यक्ष अफजलगढ को आदेशित किया जाता है कि वह मुकदमा अपराध संख्या 233/21 की पुनः विवेचना आदेश उपरोक्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार करते हुए परिणाम से न्यायालय को सूचित कराये। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु थानाध्यक्ष थाना अफजलगढ को भेजी जाये।

(आमोद कंठ)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नगीना।